न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/76/2008 दायर दिनांक 25.03.2008

उनवान

1. नसीरखां पिता अकबर खां पठान आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम उदयपुर (राज0)।

—— वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188/192 ए आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 14.02.2024

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत आदेश धारा 88—89 एवं 188/192 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि यह कि मौजा मुंगाना, तहसील कपासन में वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की साबिक पैमायश की आराजी नम्बर 257/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 257/2 रकबा 7 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा थी, जो मेवदा बांध बनने से डूब में चली गई और इसके एवज में राज्य सरकार द्वारा वादी के जरिये मि0नं0 2/70 दिनांक 04.07.1972 की आराजी नम्बर 47/3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा जमीन दी गई और उक्त पत्रावली में पर्चा मौका कब्जा सुपुर्दगी जमीन का दिनांक 04.07.1972 को बनाया गया व इन्तकाल नम्बर 1465 दिनांक 18.06.1992 को वादी के खातेदारी में दर्ज की गई व तब से वादी काबिज है।

यह कि उक्त आराजीयात का अंकन संख्या 2039 से 2042 की जमाबन्दी में इन्द्राज वादी के नाम पर किया गया।

यह कि इसके बाद बिना किसी आधार के पुनः उक्त आराजी नम्बर 47/3 को पुनः वादी के नाम पर अंकन करने से वंचित कर जमीन सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई, जो गलत है तथा उक्त आराजी पुनः वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त गलत इन्द्राज से तहसील कपासन के कर्मचारी बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः उनको जरिये निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। अन्यथा वादी को भारी असुविधा व क्षति होगी एवं कब्जे से बेदखल कर दिया जावेगा तो इसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकेगी।

यह कि वादी ने प्रतिवादी से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर वादी के नाम खातेदारी से अंकित करने तथा कब्जा हटाने की धमकी नहीं देने हेतु कहा तो टालमटोल जवाब देते है। अतः वादी को बिनाय दावा पैदा हुई, जिसकी शुरूआत दिनांक 25.02.2008 से है।

अन्त में वादी की प्रार्थना है कि—

— यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम मुंगाना, तहसील कपासन की आराजी नम्बर 47/3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा वादी के खातेदारी व कब्जे की है तथा मौजूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेकॉर्ड में जो इन्द्राज गलत है, उसको दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जावें।

–यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावें कि वे जैरबहस आराजीयात से वादी को बेदखल नहीं करें।

–हर्जा खर्चा आदि दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

1. बिन्दु संख्या 1 के क्रम में निवेदन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त आदेश के अनुसार वादी की आराजी नं0 257/1 रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 257/2 रकबा 7 बिघा मेवदा बांध में डूब जाना स्वीकार है जिसके बदले में मौजा मेवदा के आराजी नम्बर 47/3 रकबा 8 बिघा 5 बिस्वा भूमि दिया जाना स्वीकार है।

2. बिन्दु संख्या 2 के क्रम में निवेदन है कि जमाबन्दी संवत 2039–2042 में प्रार्थी के नाम अंकित किया जाना स्वीकार है।

3. बिन्दु संख्या 3 के क्रम में निवेदन है कि वादी ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट नहीं किया कि वादी का किस आराजी पर कब्जा है तथा वाद पत्र में नक्शा तरमीम भी साथ नहीं लगाया है। वादी स्वयं सिद्ध करावे कि उसका मौके पर कब्जा है। तरमीम नक्शें के अभाव में वादी का कथन अस्वीकार है।

4. बिन्दु संख्या 4 के क्रम में निवेदन है कि वादी को किस नम्बर से तहसील के कर्मचारी बेदखल कर रहे है यह अपने वाद पत्र में कहीं उल्लेख नहीं किया है। न ही कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेजों साक्ष्य प्रस्तुत किये है। वादी का कथन अस्वीकार है।

5. बिन्दु संख्या 5 के क्रम में निवेदन है कि वादी द्वारा वाद पत्र में कही अंकित नहीं किया कि किस आराजी पर कब्जा है। यह स्पष्ट नही किये जाने के कारण किस नम्बर के विषय में टालमटोल किया जा रहा स्पष्ट नही प्रतिवादी के पास ऐसा कोई तथ्य नहीं आये। वादी ने कभी कोई दस्तावेज पेश कर जाहिर नहीं किया है। वादी का कथन अस्वीकार है।

6. बिन्दु संख्या 6 के क्रम में निवेदन है कि यह न्यायालय श्रीमान् के विचारणीय है।

7. बिन्दु संख्या 7 पर जवाब अपेक्षित नहीं है।

8. बिन्दु संख्या 8 के क्रम में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दे कर पेश किया है अतः वाद खारिज योग्य है।

9. वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अंकन नहीं किया गया है कि गत बन्दोबस्त की आराजी नं0 47/3 रकबा 8 बिघा 5 बिस्वा के नवीन नम्बर क्या बने है न ही नक्शा ट्रेस गत व हाल पेश किया जिसके अनुसार मिलान किया जा सके। वादी स्वयं सिद्ध करावे कि उसका किस नम्बर पर कब्जा है। रेकार्ड के अभाव में वाद खारिज योग्य है। अतः बिन्दुवार जवाब तैयार कर श्रीमान् की सेवा में पेश है।

वाद व जवाब दावा के पश्चात् निम्न तन्कीयात कायम की गई।

1. आया वादी की जमीन मेवदा बांध डूब [illegible] जाने से वादी को मौजा मुंगाना में आ0नं0 47/3 रकबा 8 बिघा 5 बिस्वा जमीन [illegible] गई जो कब्जा दिया जाकर वादी के खाते दर्ज हुई?

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested

–जिम्मेवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. आया सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि पुनः सरकारी दर्ज कर दी गई ?

—जिम्मेवादी

3. आया वादी वक्त आवंटन से ही विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है?

—जिम्मेवादी

4. दादरसी

साक्ष्यवादी में वादी नसीरखां पिता अकबर खां निवासी कपासन का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। तथा कालूराम पिता रूपा जाति भील निवासी मेवदा का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। तथा दस्तावेज प्रदर्श कराये जो निम्नानुसार है— नकल जमाबन्दी संवंत् 2039—42 तक प्रदर्श—1, नकल इन्तकाल नम्बर 1465 प्रदर्श—2, नकल अवाप्ति भूमि प्रदर्श—3, नकल रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रदर्श—4, नकल पर्चा मौका सुपुर्दगी प्रदर्श—5, नकल आदेश भूमि परिवर्तन प्रदर्श—6 है।

पत्रावली में दिनांक 30.01.2024 को बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेज, मौका रिपोर्ट व शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अतः तनकी अनुसार निर्णय निम्नानुसार है—

तनकी संख्या 1 आया वादी की जमीन मेवदा बांध डूब में आ जाने से वादी को मौजा मुंगाना में आ0नं0 47/3 रकबा 8 बिघा 5 बिस्वा जमीन दी गई जो कब्जा दिया जाकर वादी के खाते दर्ज हुई? उक्त तनकी को साबित कराने का जिम्मा वादी का था। प्रस्तुत जमाबन्दी संवंत् 2039—2042 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 1465 का अमल दरामद श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी कपासन के आवंटन आदेश से क्रम सं0 8 पर वादी नसीर खां पिता अकबर खां पठान को आराजी नम्बर 47/3 रकबा 8 बिघा 5 बिस्वा किस्म चारागाह से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। नामान्तरण संख्या 1465 प्रदर्श—2 के अवलोकन से नामान्तरण के कॉलम संख्या 16 में स्पष्ट अंकन है कि जिन काश्तकारों की भूमि डूब में गयी है उसके बदले जो भूमि मौजा मुंगाना में दी गयी उसका आंवटित खातेदारी के नामकरण दर्ज किया गया, उक्त नामकरण में वादी का नाम अंकन है। प्रदर्श—3 भूमि अवाप्ति अधिकारी कपासन के एवार्ड आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी नसीर खां की अवाप्त भूमि आराजी संख्या 257/1 व 257/2 कुल रकबा 8 बिघा 5 बिस्वा है। उक्त के बदले में वादी को आराजी संख्या 47/3 रकबा 8 बिघा 5 बिस्वा प्रदान की गई है। प्रदर्श—4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी नसीर खां को आराजी संख्या 47/3 का कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की जमीन मेवदा बांध डूब में आ जाने से मौजा मुंगाना में आराजी नम्बर 47/3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमीन दी गई जो वादी को कब्जा प्रदान किया जाकर वादी के खाते दर्ज हुई। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी संख्या 2 आया सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि पुनः सरकारी दर्ज कर दी गई ? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा वादी का था। वादी व वकील वादी द्वारा उक्त तनकी के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाकर मौखिक कथन किया गया कि उस वक्त ऑफलाइन मोड में कार्य किया जाता था तो उसका रिकॉर्ड मुझे नहीं मिल पा रहा है, परन्तु मैं उसी भूमि पर काबिज हूँ जो मुझे राजस्व कार्मिकों द्वारा बाद आवंटन आदेश सुपुर्द की गयी थी जिनका मौका पर्चा संलग्न है। वादी के स्वयं की भूमि डूब क्षेत्र में आ जाने की वजह से वादी को आराजी संख्या 47/3 का आवंटन कर कब्जा सुपुर्द कर खाते दर्ज की गयी। चुंकि वादी के द्वारा इस संबंध में सेटलमेन्ट का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया परन्तु उपलब्ध अन्य समस्त दस्तावेजों तथा मौका पर्चा के अवलोकन से यह प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट होता है कि वादी को उक्त भूमि आवंटन भूमि अवाप्ति अधिकारी कपासन के द्वारा उचित आवंटन आदेश के अनुसरण स्वरूप राजस्व कार्मिकों द्वारा डूब क्षेत्र में गई समस्त जमीन के मुआवजे में यह जमीन दी गई है, अतः यह तनकी वादी के पक्ष में आंशिक साबित होती है।

तनकी संख्या 3 आया वादी वक्त आवंटन से ही विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा वादी का था। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 11.04.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड व मौका स्थिति अनुसार वादी नसीर खां पिता अकबर खां पठान आराजी सं0 1935 रकबा 0.72 है0, 1936 रकबा 0.50 है0, 1937 रकबा 2.27 है0 में से 1.07 हैक्ट0 पर काबिज है। चूंकि आराजी संख्या 47/3 के नये नम्बर का अंकन मिलानशीट में नही है। साथ ही साबिक तरमीम नक्शा उपलब्ध नहीं होने के कारण 47/3 के हाल नम्बर क्या बने है यह मौके पर ज्ञात करना संभव नहीं है। परन्तु मिलान क्षेत्रफल के साबिक आराजी नम्बर 47 मीन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 1935, 1936, 1937 आराजी संख्या 47 मीन से बने है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार कपासन के अनुसार वादी का कब्जा उक्त 47 मीन से बने नवीन आराजी संख्या 1935, 1936, 1937 पर स्पष्ट होने से उक्त तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी संख्या 1 व 3 वादी के पक्ष में सिद्ध होने व तनकी संख्या 2 आंशिक रूप से सिद्ध होने से वाद वादी अन्तर्गत धारा 88/89, 88/192 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार कपासन की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.04.2019 अनुसार व[redacted] के कब्जेशुदा मौजा मुंगाना पटवार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:43 IST
Reason: SelfAttested

हल्का मुंगाना तहसील कपासन के आराजी संख्या 1935 रकबा 0.72 हैक्ट0, आराजी संख्या 1936 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 1937 रकबा 2.27 है0 में से 1.07 हैक्ट0 वादी के नाम खातेदारी अधिकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested